नीट यू0जी0 2020 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की ऑन–लाईन मॉप–अप – II एवं आगामी काउन्सिलिंग चरणों (केवल बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु) हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें

1. **मॉप–अप –II चरण काउन्सिलिंग (केवल बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु) में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता**

   नीट यू0जी0 2020 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग में इच्छुक अर्ह निम्न अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैः–

   - प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप–I चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप–I काउन्सिलिंग चरण में कोई भी सीट आवंटित नही हुयी हो।
   - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा मॉप–अप प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और मॉप–अप–II चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
   - ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप–I चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण ना कराया हो और मॉप–अप–II एवं आगामी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो।

   मॉप–अप –II चरण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न छात्र अर्ह नही होगेः–

   - जिन अभ्यर्थियों द्वारा नीट यू0जी0 2020 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप–I चरण के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है, वे मॉप–अप–II एवं आगामी काउन्सिलिंग चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह **नही** होगें।
   - जिन अभ्यर्थियों द्वारा एम0सी0सी0 भारत सरकार द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है, वे भी भारत सरकार/एन0एम0सी0/एम0सी0सी0/मा0 उच्चतम न्यायालय (रिट याचिका संख्या 267/2017 में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.05.2017 के निर्देशानुसार) इस मॉप–अप–II एवं आगामी काउन्सिलिंग चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नही होगें।

   आवेदन प्रक्रिया (केवल ऑन–लाईन आधार पर)

2. मॉप–अप–II काउन्सिलिंग चरण में प्रतिभाग करने हेतु **प्रत्येक** इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को पंजीकरण धनराशि **(रुपया 2000/–) केवल आन–लाईन प्रणाली** (Credit/Debit Card/Net banking) के आधार पर आन–लाईन जमा करनी **अनिवार्य** होगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के काउन्सिलिंग चरणो मे पंजीकरण करवाया जा चुका है को भी मॉप–अप–II काउन्सिलिंग चरण में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण धनराशि (रुपया 2000/–) जमा करानी **अनिवार्य** होगी।
3. बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि रुपया 10000/– जमा की जानी अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप–I चरण काउन्सिलिंग में निर्धारित धरोहर राशि रुपया 10000/– या उससे अधिक की धरोहर धनराशि जमा करायी गई है और उनकी धरोहर राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त (forfiet) ना की गयी हो, यदि ऐसे अभ्यर्थी मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराना चाहते है तो उन्हे विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर स्वंय को मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण धनराशि जमा (रुपया 2000/–)करवाते हुये पंजीकरण कर आन–लाईन आवेदन,वाछित अभिलेख अपलोड कर नवीन च्वाईस फिलींग करनी **अनिवार्य** होगी। अपितु ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा धरोहर राशि जमा **नही** करनी होगी। परन्तु जिन पूर्व में पंजीकृत

अभ्यर्थियों द्वारा रुपया 10000/– से कम की धरोहर धनराशि जमा की गई है को पुनः रुपया 10000/– धरोहर धनराशि के रुप में जमा कराना अनिवार्य होगा।

4. मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में **पंजीकरण करने के उपरान्त आन–लाईन आवेदन फार्म को भरते हुये समस्त वाछित अभिलेख अपलोड कर ,नवीन च्वाईस फिंलीग (New Choice lock) करना अनिवार्य होगा।** अन्यथा की दशा में वे मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु अर्ह **नही** माने जायेगें। पूर्व के चरणों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस फिंलीग स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अतः मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे मॉप–अप–II चरण हेतु निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लेवें।

5. यदि कोई इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी आन–लाईन आवेदन प्रपत्र में भरी गयी किसी सूचना, अपलोड किये गये मूल अभिलेखो की स्कैन पी0डी0एफ0 (PDF) कापी तथा मॉप–अप चरण हेतु भरी गयी च्वाईस फीलिग में कोई भी परिवर्तन (संशोधन) करना चाहता है, तो अभ्यर्थी को द्वितीय काउन्सिलिंग चरण हेतु पंजीकरण की निर्धारित तिथियो के दौरान ही, संशोधन हेतु रुपया– 500/–**(रुपया पाँच सौ)** Online माध्यम से संशोधन पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का संशोधन (केवल च्वाईस फिलिग एवं अभिलेख अपलोड) करने हेतु, अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रुपया 500/– (रुपया पाच सौ) देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियो के दौरान ही पूर्ण रुप से भरना होगा। प्रत्येक संशोधन के पश्चात पूर्व में किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। **अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये आवेदन ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नही किया जायेगा।**

6. अभ्यर्थी आन–लाईन आवेदन पपत्र में भरी गयी किसी सूचना, भरी गयी च्वाईस (विकल्प) तथा मूल अभिलेखो की स्कैन पी0डी0एफ0 (PDF) कापी को **विलम्बतम दिनांक 08.01.2021 रात्रि 07:00 बजे तक ही** उपरोक्तानुसार परिवर्तित (edit) कर सकते है।

7. **अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण रुप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास अनिवार्य रुप से सुरक्षित रखना होगा। भविष्य मे आवेदन के सन्दर्भ में किसी भी पृच्छा/जानकारी अथवा प्रकरण का निस्तारण इस आवेदन फॉर्म के प्रिन्ट आउट के आधार पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।**

8. अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म में च्वाईस भरने के उपरान्त उन्हे सर्वप्रथम SAVE किया जाना होगा। यदि अभ्यर्थी चाहें तो काउन्सिलिंग समय सारणी द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उसमें परिवर्तन कर सकता है। तद्पश्चात अभ्यर्थी को इन SAVE की गयी च्वाईस को LOCK किया जाना होगा। परन्तु च्वाईस LOCK करने के उपरान्त अभ्यर्थी इनमे केवल निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संशोधन शुल्क जमा (बिन्दु 05 के अनुसार) करने के उपरान्त ही परिवर्तन कर सकता है।

9. यदि ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिंलिग को SAVE करने के उपरान्त LOCK नही किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस को ऑन–लाईन प्रणाली द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त स्वतः ही LOCK कर दिया जायेगा तथा यह माना/समझा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन हेतु यही च्वाईस भरी गयी है। परन्तु यदि ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिंलिग को SAVE भी नही किया जाता है, तो अभ्यर्थी को मॉप–अप चरण सीट आवंटन हेतु अर्ह नही माना जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अपनी भरी गयी च्वाईस को SAVE तथा LOCK कर लेवें।

10. अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटो में से अपनी च्वाईस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटो का विकल्प चयन कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स मे दर्शायी गयी उपलब्ध संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटों की संख्या में संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी मे इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में नियमानुसार सीट परिवर्तन

(conversion) इत्यादि कारणो के फलस्वरुप परिवर्तन हो सकता है। अतः अभ्यर्थियों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे आन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटो में से अपनी च्वाईस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटो का विकल्प चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। **अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/ सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/ काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।**

11. काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन मॉप–अप–II चरण में उपरोक्तानुसार निर्धारित नियम/ प्रक्रियानुसार पंजीकृत हुये अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट, अर्हता एवं भरी गयी च्वाईस (विकल्प) के आधार पर किया जायेगा।

12. मॉप–अप –II एवं आगामी चरणो हेतु काउन्सिलिंग समय सारणी

मॉप–अप–II एवं आगामी चरणो हेतु काउन्सिलिंग समय–सारणी विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।

13. संस्थानवार सीट मैट्रिक्स

संस्थानवार सीटों का अद्यतन कोटेवार (राज्य कोटा तथा ऑल–इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) सीटो का विवरण (सीट मैट्रिक्स) विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।

14. शुल्क विवरण

काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। **अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/ सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/ काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।**

सीट अपग्रेडशन

15. मॉप–अप–II चरण में किसी भी प्रकार का सीट अपग्रेडेशन अनुमन्य नही होगा।
16. जिन अभ्यर्थियों को मॉप–अप–II में बोर्ड द्वारा सीट आवंटित की जाती है और वे निर्धारित समयान्तर्गत आवंटित संस्थान में अपना प्रवेश सुरक्षित करा लेते है, को भी आगामी काउन्सिलिंग चरण में प्रतिभाग/सीट अपग्रेडेशन का अधिकार नही होगा और ना ही ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी प्रवेशित सीट को छोडने का अधिकार होगा।
17. **अतः अभ्यर्थियो को यह सलाह दी जाती है कि वे संस्थान का विकल्प भरते समय यह अवश्य ध्यान रखे कि वे उन्ही पाठ्यक्रम/सीट/संस्थान का ही विकल्प चयन करें जिसमें वे प्रवेश लेने के इच्छुक है।**

प्रवेशित सीट को छोडने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) संबंधी नियम

18. मॉप–अप–II चरण में बोर्ड द्वारा आवटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को भारत सरकार/एन0एम0सी/एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, द्वारा नियमानुसार जब्त (forfiet) कर लिया जायेगा।

19. मॉप–अप–II एवं आगामी काउन्सिलिंग चरणों में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश ले लेता है, तो उसे किसी भी दशा में इस प्रवेशित सीट को छोड़ने का अधिकार **नहीं** होगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।

आरक्षण

20. मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग मे पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
21. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउॅन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
22. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र डी0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा इस सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक अथवा काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैद्य (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16–02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैद्यता (validity) को भली–भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगे।
23. शासनदेश संख्या 570/कार्मिक–2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी **(DPW) हेतु** आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिको के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
24. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तो/प्रतिबन्धो के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र 2020–21 के लिये मान्य/निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
25. किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी के उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त रहने/होने पर मॉप–अप–II चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरी जाएगीं।

प्रवेश प्रक्रिया

26. मॉप–अप–II चरण में बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश लेने की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग चरण के सीट आवंटन सूची निर्गत होने के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर छात्रों हेतु पृथक से अपलोड की जायेगी।
27. **आवटित सीट पर प्रवेश सुरक्षित करने हेतु संबंधित छात्र को निर्धारित समयान्तर्गत आंवटित संस्थान में व्यक्तिगत रुप में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अपने समस्त वांछित अभिलेख (मूल में) प्रस्तुत एवं जमा करने अनिवार्य होगें, अन्यथा की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नही होगें। एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में सीट छोडने की अनुमति नही होगी।**

प्रतीक्षा सूची के आधार पर संस्थान स्तर पर आयोजित सीट आवंटन/प्रवेश कार्यवाही
(Stray Vacancy Round at college level -only for BDS course Seat)

28. मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग के उपरान्त भी सीट रिक्त रहने की दशा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशानुसार रिक्त सीटों को मॉप–अप–II चरण काउन्सिलिंग में पंजीकृत की प्रतिक्षा सूची के आधार संस्थान स्तर से नियमानुसार भरा जायेगा।
29. केवल मॉप–अप–II चरण में पंजीकृत अभ्यर्थियों से ही मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग बोर्ड प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी। **Stray Vacancy Round** में प्रतिभाग करने हेतु पृथक से नवीन पंजीकरण कार्यवाही **नही** की जायेगी। अतः जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची के आधार पर संस्थान स्तर पर आयोजित सीट आवंटन/प्रवेश कार्यवाही में प्रतिभाग करने के इच्छुक हो वे निर्धारित समयान्तर्गत मॉप–अप–II चरण में अपना पंजीकरण अनिवार्य रुप से करा लेवें।
30. जिन अभ्यर्थियों द्वारा नीट यू0जी0 2020 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के मॉप–अप–II चरण के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है, उनका नाम प्रतीक्षा सूची के आधार पर संस्थान स्तर पर आयोजित सीट आवंटन/प्रवेश कार्यवाही में सम्मिलित नही किया जायेगा।
31. प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी की अर्हता के अनुसार कोटे (राज्य कोटा तथा ऑल–इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) के आधार पर पृथक–पृथक जारी की जायेगी।
32. अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त प्रवेशित सीट को छोडने का अधिकार नही होगा।
33. प्रतीक्षा सूची के आधार पर संस्थान स्तर पर आयोजित सीट आवंटन/प्रवेश कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित संस्थान से दूरभाष पर प्राप्त की जा सकती है।

अन्य सामान्य नियम/शर्ते

34. विस्तृत जानकारी हेतु नीट यू0जी0 2020 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लेवें।
35. काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिर्वतन का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार/एन0टी0ए0/एम0सी0सी0/एम0सी0आई0/डी0सी0आई0/मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अभ्यर्थियों हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।
36. काउन्सिलिंग हेतु कोई भी सूचना/जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर ही अपलोड की जायेगी। अतः काउन्सिलिंग की अद्यतन सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथिः– 04.01.2021

नीट यू0जी0 2020
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग